न्यायालय जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर

क्रमांक/कोर्ट/राज.प्रकरण क्षेत्राधिकार/2017-18/ 1997 दिनांक 16/7/19

–: आदेश :–

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/2111 दिनांक 30.5.2019 द्वारा उपखण्ड क्षेत्र वजीरपुर से संबंधित प्रकरण अन्तर्गत धारा 175,177 आरटीएक्ट एवं अन्तर्गत धारा 136,128,75 एलआरएक्ट व अन्य प्रकरणों की पत्रावलियां उपखण्ड न्यायालय गंगापुर सिटी के न्यायालय मे विचाराधीन है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले दावे, प्रार्थना पत्र, इजराय इत्यादि के प्रकरणों की सुनवायी पूर्व से ही सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में चल रही है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर का पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यभार सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के पास है इसलिए उपखण्ड न्यायालय गंगापुर सिटी में जैरकार उक्त धाराओं के प्रकरणो की पत्रावलियां जो उपखण्ड वजीरपुर क्षेत्राधिकार के है उनको उपखण्ड न्यायालय गंगापुर सिटी से सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राजस्व 18-7-19 2061 19/7/19

अतः भू राजस्व अधिनियम ,1956 की धारा 54 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे उपखण्ड क्षेत्र वजीरपुर के विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 175,177 आरटीएक्ट एवं अन्तर्गत धारा 136,128,75 एलआरएक्ट व अन्य प्रकरणों की पत्रावलियां को सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे सुनवायी हेतु स्थानान्तरित की जाती है। तथा भविष्य में उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में प्रस्तुत होकर दर्ज होगें।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

क्रमांक/कोर्ट/राज.प्रकरण क्षेत्राधिकार/2017-18/ 1998-2001 दिनांक 16/7/19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
2. श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर
3. उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को दी जाकर लेख है कि उक्तानुसार प्रकरणों की पत्रावलियों को आगामी तारीख पेशी पर सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय को स्थानान्तरित की जाकर तदानुसार संबंधित पक्षकारान को सूचित किया जावे।
4. सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी को दी जाकर लेख है कि उक्तानुसार उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय द्वारा भिजवाये जाने वाले प्रकरणों की पत्रावलियों को आपके न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर करवायी जाकर आगामी सुनवायी सुनिश्चित करवायी जावे।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर